

कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :-

29

/का०ब०वि०प्रा०/सं० अनु०-२०२१-२२ दिनॉक - १४/०७/२०२१

आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कु०
पिता/ पति श्री

PIYUSH SIDDHARTHA

B-13 ADM COMPOUND, CIVIL LINES, BAREILLY
Mobile 8171611309

विषय— रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 2 GANGA इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 42 ,श्रेणी – A
क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **GN 865** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनॉक- 30.06.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 2 में श्रेणी- A भूखण्ड सं०- 42 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर आंवटित किया गया है।

- भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०— 3726000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०— 186300/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०— 745200/- दिनांक 13-08-21 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०— 2794500/-
(ड) त्रैमासिक किश्त	रु०— 389750/-

- आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवंटन धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1— प्रथम किश्त माह- सितम्बर 2021 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2— किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।

(P.T.O)

- 3– किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 3% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 13% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4– विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 5– कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6– भूखण्ड के क्षेत्रफल में रथलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकंलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7– आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8– पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं0–7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9– यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10– देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं0–14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेंगी।
- 11– भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12– आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13– रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय ₹0–1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14– यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15– अन्य नियम एवं शर्त पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :-

- उक्त आवंटित सम्पत्ति की धनराशि **PNB Rajendra Nagar Bareilly** में स्थित बरेली विकास प्राधिकरण के खाता सं0– 1870000100578685 आई0एफ0एस0सी0 कोड **PUNB0187000** में जमा की जायेगी।
- किश्तें जमा करने की सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।